

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 19 नवम्बर, 2024 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

(i)	<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10</u> जिसकी सूचना:- 1. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; 2. श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.; तथा 3. श्री आफ़ताब अहमद, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	राज्य में सार्वजनिक सम्पतियों पर स्टिकरों, बिलों और विज्ञापनों को चिपकाकर विकृत करने से संबंधित।
(ii)	<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-5</u> जिसकी सूचना श्री अदित्य देवीलाल, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	गरीब तथा अनुसूचित जातियों को सरकार द्वारा आबंटित 100-100 गज के प्लॉटों की कॉलोणियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध न होने से संबंधित।

II. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

III. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

IV. विधायी कार्य।

(i) (पुरः स्थापित, विचार तथा पारित किये जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; यह प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	--

(ii) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3. हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
5. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

V. माननीय अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय (रूलिंग)।

VI. कोई अन्य कार्य।

चण्डीगढ़:

18 नवम्बर, 2024.

डॉ. सतीश कुमार,
सचिव।